संख्या-13/2025/407ई-2/तेरह-2025-261292

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग 2 लखनऊः दिनाकः12 मार्च, 2025

विषय- मेसर्स रेडिको खेतान लि., रामपुर की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 1024.6 लाख ब.ली. से बढ़ाकर 1205.07 लाख ब.ली. किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी.-80/दो-प्रा.डी.-10/रेडिको खेतान लि., रामपुर, दिनांक 22-10-2024 एवं जी.-106/दो-प्रा.डी.-10/रेडिको खेतान लि., रामपुर, दिनांक 19-12-2024 एवं जी.-125/दो-प्रा.डी.-10/रेडिको खेतान लि., रामपुर, दिनांक 25-02-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव एवं प्रकरण में दिनांक 06-03-2025 को प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में हुए विचार-विमर्श का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स रेडिको खेतान लि., रामपुर की अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 1205.07 लाख लीटर वार्षिक किये जाने हेतु पूर्व स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 150 कि.ली. प्रतिदिन जाने तथा 8 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के नये माल्ट हेतु उपरोक्तानुसार प्लांट/मशीनरी स्थापित किये जाने, जिसके अन्तर्गत माल्ट स्प्रिट/ई.एन.ए./ पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा तथा आसवनी की कुल क्षमता 1205.07 लाख लीटर वार्षिक का 90% पेय क्षमता तथा 10% औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आसवक द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2022 तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापति/अनुज्ञा आसवनी की बढ़ी हुयी क्षमता पर संचालन जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) इकाई द्वारा अनाज से एथनाल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी

http://sirsaganadesh.up.gov.in

द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशी का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा इस सदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियो व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अयतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः13/2025/407(1)-2/तेरह-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in